सत्यमेव जयते

# राजस्थान आयुष नीति

# 2025

## (प्रारूप)

**राजस्थान सरकार**

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

# आयुष नीति 2025

## 1. प्रस्तावना (Introduction)

**1.1** आयुर्वेद विश्व को भारत की एक अनुपम देन है। प्राकृतिक वनस्पति आधारित जडी बूटियों से निर्मित औषधियॉ इसकी विशेषता है जो कि पूर्ण रूप से निरापद एवं सुरक्षित है। वर्तमान में उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर यह विश्व की सर्वाधिक प्राचीन चिकित्सा पद्धति तो है ही, यह पद्धति अपने प्रादुर्भाव से अद्यतन निरन्तर (शास्वत रूप से) इस देश में प्रचलित होने के कारण काल–प्रमाणित (Time-Tested) है। यह पद्धति मात्र प्राचीन ही नहीं है अपितु पूर्णतः वैज्ञानिक भी है। प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध आठ शाखायें अष्टांग आयुर्वेद के रूप में प्रचलित है जो कि इसके एक व्यवस्थित शिक्षण प्रशिक्षण का प्रमाण है।

**1.2** विश्व स्वास्थ्य संगठन की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014–23 सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने के महत्व पर जोर देती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 ने भी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा की बहुलवादी प्रणाली के भीतर आयुष प्रणालियों की क्षमता को मुख्यधारा में लाने की वकालत की है। भारत में, पिछले कुछ वर्षों में कई कार्यक्रमों के अनुभव से पता चला है कि आयुष प्रणालियाँ सेवा वितरण में सुधार करने में सफल रही हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास, दवाओं और सेवाओं के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण, स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों, आयुष को मुख्यधारा में लाने के क्षेत्रों में कई सुधार किए गए हैं, जो उत्साहजनक परिणाम दे रहे हैं।

**1.3** हाल के दिनों में, रोग प्रबंधन से लेकर स्वास्थ्य प्राप्ति तक के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आया है। उदाहरण के लिए, आयुर्वेद स्व–देखभाल मॉडल की वकालत करता है जिसे "स्वस्थवृत्त" के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है "खुद को अच्छी आदतों में स्थापित करना"। इसका उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है ताकि स्वास्थ्य की स्थिति प्राप्त की जा सके। स्वस्थवृत्त में दिनचर्या (दैनिक दिनचर्या), ऋतुचर्या (मौसम/मौसम की स्थिति के अनुसार अभ्यास) और सद्वृत्त (मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यवहार संहिता) शामिल हैं। अन्य आयुष प्रणालियों में भी स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अपने स्वयं के दर्शन और अभ्यास हैं।

**1.4** वैश्विक स्तर पर भी अनेक पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियॉ प्रचलित हैं जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यन्त महत्व रखती है। एक सर्वे के अनुसार विश्व की लगभग 80 प्रतिशत जनता पारम्परिक

चिकित्सा पद्धतियों पर विश्वास करती हैं, उनका उपयोग करती हैं एवं ये समस्त पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियॉ मुख्य रूप से मेडिसिनल प्लॉट्स पर ही आधारित हैं।

**1.5** पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली हमेशा से वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल का अभिन्न अंग रही है और हाल के दशकों में इसमें उल्लेखनीय पुनरुत्थान देखा गया है। विकसित और विकासशील दोनो देशों में पारम्परिक एवं पूरक चिकित्सा (TCM – Traditional and Complimentory medicine) को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है, क्योंकि यह समग्र, प्रभावी और प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान करती है।

**1.6 पंच प्रण – भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा निम्नांकित पंच प्रण (पांच व्रत) निर्धारित किये गये है –**

1) वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प।
2) औपनिवेशिक मानसिकता के प्रत्येक निशान को मिटाये।
3) अपनी विरासत पर गर्व करे।
4) एकता और एकजुटता।
5) नागरिकों में कर्तव्य भाव।

उक्त पंच प्रणों को केंद्र में रखते हुए यह नीति विकसित की गई है। इन संकल्पों की भावना के अनुरूप ऋषि प्रणीत स्वदेशी आयुर्वेदीय जीवनशैली, स्वदेशी आहार विहार, स्वदेशी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध एवं सोवा रिग्पा चिकित्सा पद्धतियों के साथ अन्य देशों से आयी हुई होम्योपैथी तथा यूनानी पद्धतियों को भी स्वदेशी में आत्मसात करते हुए इनके माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति (नागरिक), स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण करते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर राजस्थान बनाना है। आयुष विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा यह अभिनव पहल की जा रही है।

## 2. परिचय (Introduction)

**2.1** आयुष चिकित्सा पद्धतियों में मुख्य रूप से आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी सम्मिलित हैं। इनमें से आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा एवं सिद्ध भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धतियॉ है जबकि यूनानी और होम्योपैथी अन्य देशों से आई और समय के साथ भारत में विकसित होकर समृद्ध हुई। ये चिकित्सा पद्धतियॉ व्यापक रूप से लोकप्रिय है और इनको समग्र, सुलभ, पर्यावरण–अनुकूल, किफायती और सुरक्षित चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैः–

**2.2 आयुर्वेद** – आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल की सबसे प्राचीनतम आधिकारिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त ज्ञात प्रणाली है, जिसकी उत्पत्ति भारत में वैदिक युग से मानी जाती है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ ''जीवन का ज्ञान'' है जिसमें आयु का अर्थ जीवन एवं वेद का अर्थ ज्ञान। भारतीय दर्शन एवं प्रकृति पर आधारित स्वास्थ्य सिद्वान्त तथा चिकित्सा में समग्र दृष्टिकोण व विशिष्ट चिकित्सा प्रक्रियाएं आयुर्वेद की विशिष्टता है। यह चिकित्सा पद्धति आज भी भारत और अन्य दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों में समृद्ध बनी हुई है। इसके समग्र (भ्वसपेजपब) और प्रकृति–संगत सिद्धांतों के कारण वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। वर्तमान में आयुर्वेद भारत के साथ कुछ अन्य देशों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का अभिन्न अंग बन गया है। आयुर्वेद की समृद्ध विरासत को निम्नांकित दो प्रमुख संस्कृत ग्रंथ समूहों में संरक्षित किया गया है, जो अब अंग्रेजी सहित कई समकालीन भाषाओं में अनुवादित किए जा चुके हैं–

### (1) बृहत् त्रयी

1. चरक संहिता – काय चिकित्सा और सामान्य स्वास्थ्य सिद्धांतों पर आधारित मूल ग्रंथ।
2. सुश्रुत संहिता – शल्य चिकित्सा (सर्जरी) तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण।
3. अष्टांग हृदय/संग्रह – आयुर्वेदिक ज्ञान का संक्षिप्त किन्तु व्यापक संकलन।

### (2) लघु त्रयी

1. माधव निदान – रोगों के निदान का प्रमुख ग्रंथ।
2. शार्गंधर संहिता – औषधि विज्ञान और आयुर्वेदिक योगों का वर्णन।
3. भाव प्रकाश – औषधीय पौधों एवं उनके चिकित्सीय उपयोगों पर केंद्रित ग्रंथ।

**2.2.1** आयुर्वेद के संहिता ग्रन्थों में आयुर्वेद को निम्नानुसार आठ अंगों (अष्टांग आयुर्वेद) मे वर्गीकृत किया गया है –

| | |
|---|---|
| 1. काय चिकित्सा | – आंतरिक चिकित्सा |
| 2. बालरोग (कौमारभृत्य) | – बाल रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग |
| 3. ग्रह चिकित्सा | – मनोरोग चिकित्सा |
| 4. उर्ध्वांग (शालाक्य तंत्र) | – नेत्र, कान, नाक एवं गला रोग चिकित्सा |
| 5. शल्य तंत्र | – शल्य चिकित्सा (सर्जरी) |
| 6. अगद तंत्र | – विष चिकित्सा (टॉक्सिकोलॉजी) |
| 7. जरा चिकित्सा | – वृद्धावस्था चिकित्सा एवं कायाकल्प |
| 8. वृष्य चिकित्सा (वाजीकरण) | – प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य |

**2.3 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा –** योग एक अनुशासन भी है जो स्वस्थ्य जीवन के लिए मन और शरीर के बीच सामंजस्य लाने पर केन्द्रित है। 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी की अवधि को योग के इतिहास और विकास में प्रमुख अवधि माना जाता है। इस काल में योग सूत्र और भगवत गीता आदि पर महर्षि व्यास की टीका अस्तित्व में आई। 800 ईस्वी – 1700 ईस्वी के बीच की अवधि के उत्तरशास्त्रीय काल के रूप में माना गया है जिसमे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि की शिक्षाऐं प्रमुख थी। योग का विशद शास्त्रीय प्रामाणिक साहित्य पंतजलि माहाभाष्य के रूप में उपलब्ध है। योग सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाये रखने और बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रभावी है।

इसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा उपचार प्रकृति की अंतर्निहित शक्ति के सिद्वान्तों पर आधारित पद्धति है यह प्रकृति के पॉच महान तत्वों– पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश के माध्यम से स्वास्थ्य को बनाये रखने व बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है।

**2.4 यूनानी चिकित्सा –** ग्रीस में उत्पन्न हुई इस चिकित्सा पद्वति का सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक हिप्पोक्रेटस द्वारा 460–377 ईसा पूर्व इसका शास्त्रीय रूप में परिचय करवाया गया जिसे अरबों ने अपनाया। भारत में इस पद्धति का अभ्यास 8वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ। इसमें प्रमुख रूप से चार तत्वों यथा दम, बलगम, सफरा व सौंद को आधार बनाकर ईलाज विद तदबीर, इलाज विद–गिजा, इलाज विद दवा, जराहत में चिकित्सा को वर्गीकृत कर इलाज किया जाता है। यह स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों की रोकथाम के लिए छः महत्वपूर्ण कारकों को प्राथमिकता देती है।

1. वायुमंडलीय वायु (स्वच्छ वातावरण)
2. आहार एवं पोषण
3. जल का सेवन
4. शारीरिक गतिविधि एवं विश्राम
5. मानसिक गतिविधि एवं विश्राम
6. शरीर से अवांछित पदार्थों का निष्कासन एवं आवश्यक तत्वों का संचय

**2.5 सिद्व –** सिद्व द्रविड़ संस्कृति में उत्पन्न हुई एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। भारत में 900 से 1000 ईस्वी के मध्य सिद्व चिकित्सा की प्रगति हुई। सिद्ध औषधियाँ जड़ी–बूटियों, खनिजों, धातुओं और पशु उत्पादों के मिश्रण से बनाई जाती हैं, जिनमें शरीर को विषमुक्त (डीटॉक्सिफिकेशन) करने और कायाकल्प करने पर विशेष जोर दिया जाता है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है।

**2.6 होम्योपैथी** –होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर (Similia Similibus Curentur) के नियम के आधार पर चिकित्सा की प्रणाली है अर्थात स्वस्थ्य व्यक्ति को अपरिष्कृत औषधी के सेवन पर जो लक्षण उत्पन्न होते है उन्ही लक्षण वाले रोगी को वही औषधि दे, तो रोग के लक्षण दूर हो जाते है और रोगी स्वस्थ्य हो जाता है। इस पद्वति की खोज जर्मन के एलोपैथिक चिकित्सक डॉ सैमुअल हैनीमैन द्वारा 1796 में की गयी। होम्योपैथी एक प्राकृतिक, पूरक चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें अत्यधिक घुले हुए (डाइल्यूटेड) पदार्थों का उपयोग करके शरीर की आत्म–चिकित्सा क्षमता को सक्रिय किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1829 में डॉ. होनिगबर्गर द्वारा कलकत्ता से इस चिकित्सा पद्धति का अभ्यास प्रारम्भ किया गया। यह पद्धति राज्य में वर्ष 1952 से संचालित है।

**2.7 इलेक्ट्रोपैथी** – उक्त के अतिरिक्त राज्य में वर्ष 2018 में राजस्थान **इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति** अधिनियम पारित किया गया तथा 1 मई, 2025 से इसे राज्य में गजट नोटिफिकेशन द्वारा लागू किया जाकर इसके प्रथम बोर्ड का गठन किया गया है। यह चिकित्सा पद्धति लिम्फ और रक्त का दूषित होना (Visitation off Lymph and Blood Cause of Disease) रोगों का कारण मानती है तथा Complexa Complexsis Curenter के सिद्धान्त पर आधारित है।

**2.8 राजस्थान में आयुष**

**2.8.1 राज्य की भौगोलिक स्थिति** – राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बडा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 342239 वर्ग कि.मी. (132139 वर्गमील) है तथा 2011 की गणना अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत है।

**2.8.2** राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप–आर्द्र मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापान्तर, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं युक्त शुष्क जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्द्ध शुष्क एवं उप–आर्द्र जलवायु है। अक्षांशीय स्थिती, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से उचाई, अरावली पर्वत श्रेणीयों की स्थिती एवं दिशा, वनस्पति आवरण आदि सभी यहॉ की जलवायु को प्रभावित करते है।

**2.8.3** राजस्थान राज्य की भौगोलिक परिस्थितिया व संरचना आयुर्वेद दृष्टि से जॉगल देश प्रधान है जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है और इस संबंध में **''मरूभूमि आरोग्य कराणां श्रेष्ठः''** कहा गया है।

**2.8.4** आयुष पद्धतियों की आधारभूत संरचना के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य देश के अग्रणी राज्यों में है राजस्थान सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल एवं जैव विविधतापूर्ण राज्य है, जहां वनौषधियॉ यथा – विभितक, वासा, कुटज निर्गुण्डी, नागरमोथा, गुग्गुल, कण्टकारी, रोहितक, गोक्षुर, सनाय, गिलोय, घृतकुमारी, शिरीष,

शोभांजन, अर्जुन, शंखपुष्पी, इन्द्रवारूणी, आंवला, ईसवगोल, गुडमार, कॉचनार, द्रोणपुष्पी, शरपुंखा, अश्वगंधा, शतावरी, नागवला, अतिबला, पारिजात आदि अनेक प्रजातियॉ पाई जाती है, जिनका जनसामान्य द्वारा पारम्परिक रूप से स्वास्थ्य लाभ हेतु उपयोग किया जाता रहा है।

**2.8.5** राज्य में आयुष प्रशासनिक ढांचे के अन्तर्गत आयुष मंत्रालय, प्रशासनिक विभाग, आयुष विभागान्तर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में 3 निदेशालय (1. आयुर्वेद, 2. यूनानी, 3. होम्योपैथी) तथा शिक्षा के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर विभागाध्यक्ष के रूप में तथा डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर स्वायत्तशाषी संस्था के रूप में संचालित है। इसी प्रकार संभाग स्तर पर अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद तथा जिला स्तर पर उपनिदेशक आयुर्वेद कार्यालय संचालित है।

1. निदेशालय, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर
2. निदेशालय, यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान, जयपुर
3. निदेशालय, होम्योपैथी चिकित्सा विभाग राजस्थान, जयपुर
4. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
5. प. मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर

उक्त के अतिरिक्त अन्य संस्थान के रूप में 6 कार्यालय भी आयुष विभागान्तर्गत संचालित है –

1. बोर्ड़ ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर
2. राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, जयपुर
3. राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड, जयपुर
4. राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर
5. राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद्, जयपुर
6. राजस्थान नीट आयुष यू.जी./पी.जी. काउंसलिंग बोर्ड, जयपुर

**2.8.6** राज्य के राजकीय आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण औषधी आपूर्ति किये जाने हेतु पांच राजकीय रसायनशालाऐं संचालित है, जिनके प्रबंधन के लिए अतिरिक्त निदेशक रसायनशालायें व प्रबंधक रसायनशाला तथा निजी औषध निर्माण शालाओं के पर्यवेक्षण के लिए सहायक औषध नियंत्रक तथा औषध निरीक्षक आदि कार्यरत है।

## 2.9 राजस्थान में आयुष सेवायें –

**आयुष चिकित्सालय**

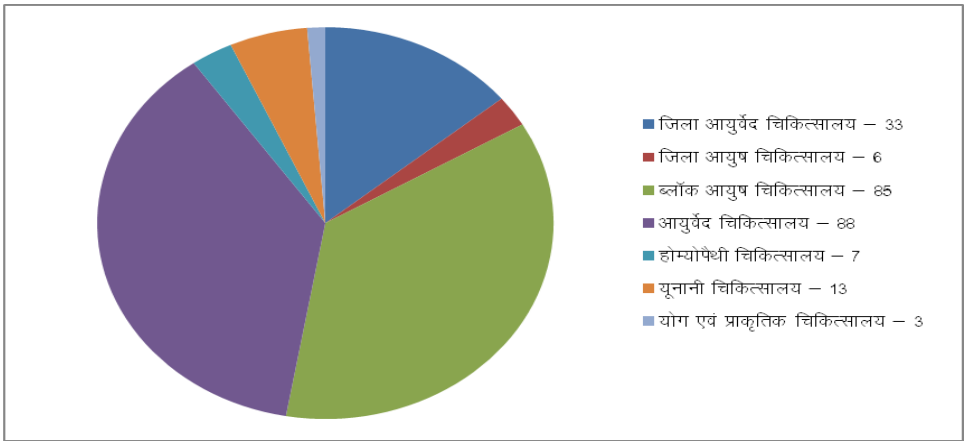


**आयुष औषधालय**

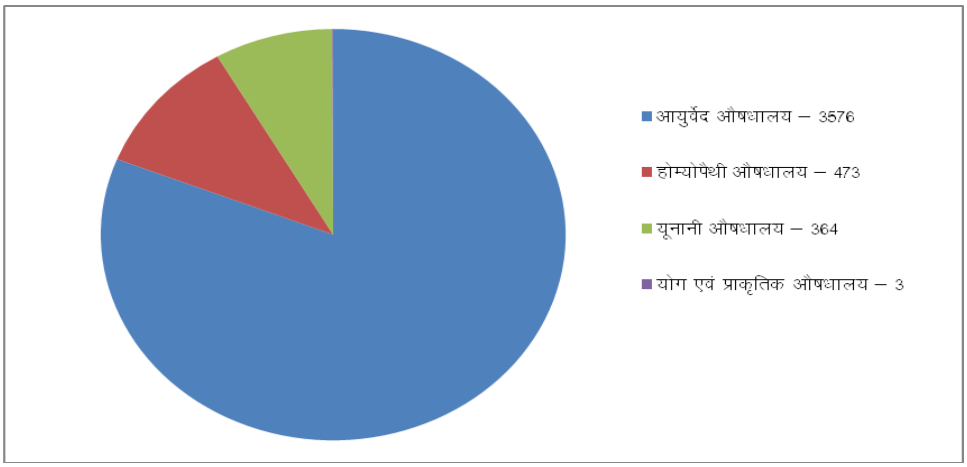


## 3. दृष्टिकोण (Vision)

स्वस्थ राजस्थान निर्माण के लिए आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी व होम्योपैथी चिकित्सा पद्वतियो को मुख्य धारा में लाते हुए इन पद्वतियों के माध्यम से सबको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाया जाना।

## 4. उद्देश्य (Objectives)

1. आरोग्य राजस्थान (Health for All) की प्राप्ति के लिये आयुर्वेद के प्रथम उद्देश्य '**स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्**' के सिद्धान्त के आधार पर स्वास्थ्य संरक्षण के उपाय करना।
2. आयुर्वेद के द्वितीय उद्देश्य '**आतुरस्य विकार प्रशमनम्**' की पूर्ति के लिये रोगियों को संशमनात्मक, रोगनिवारक एवं शोधन (Palliative, Curative, Detoxification) चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध कराया जाना।

3. देश विदेश में बढती हुई आयुष प्रोफेशनल्स की मांग (Doctors, Yoga Trainers, Panchkarma Therapist, Nursing Assitants, Nutritienist, Old Age Health Care) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये उच्चतम शिक्षित/प्रशिक्षित दक्ष प्रोफशनल्स तैयार करना।
4. आयुष के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सिद्धान्तों, चिकित्सा विधियों, प्रक्रियाओं इत्यादि का आधुनिक वैज्ञानिक मापदण्डों के आधार पर रिसर्च कर उनका वेलिडेशन किया जाना, डाटा तैयार करना एवं उनका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में प्रकाशन करवाना।
5. राज्य में पाये जाने वाले मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लॉट्स की पहचान करना, उनके प्राकृतिक आवासों (Natural Habitates) में संरक्षण करना, अत्यधिक व्यापारिक महत्व के पौधों का कृषिकरण करवाया जाना, संवर्धन करवाया जाना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियॉ किया जाना, देश विदेश में विपणन को बढावा दिया जाना। आयुष औषध निर्माण शालाओं को गुणवत्तापूर्ण कच्ची जडी बूटियों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
6. सुस्वास्थ्य प्राप्ति हेतु सुविधाओं की तलास करने वालो (Wellness Seekers) के लिए राजस्थान राज्य को Most prefferd destination बनाये जाने हेतु आयुर्वेद एवं योग व प्राकृतिक चिकित्सा के मेडिट्यूरिज्म को बढावा दिया जाना।
7. आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी औषधियों की गुणवत्तापूर्ण एवं पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करना।
8. आम जन को आयुष सेवाओं की जानकारी/जागरूकता प्रदान करने के लिये IEC किया जाना।
9. आयुष सेवाओं की गुणवत्ता अभिवृद्धि, प्रभावी मोनिटरिंग, डेटा संधारण इत्यादि हेतु AI/IT का उपयोग करना।
10. राज्य में नवीन चिकित्सा पद्धति इलैक्ट्रोपैथी के शिक्षण, प्रशिक्षण, पंजीयन इत्यादि के विषय में यथावश्यक कार्यवाही किया जाना।

## 5. कार्यनीति एवं महत्व क्षेत्र (Strategic Framework and Thrust areas)

**5.1 आयुष चिकित्सा सेवाएं (Services) –** वर्तमान में राज्य में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी व योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर के चिकित्सालय/औषधालय संचालित है। इनकी समुचित उपयोगिता सुनिश्चित करने एवं सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु सम्यक् मानदण्ड निर्धारित कर जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर पर आयुष चिकित्सा सेवाऐं उपलब्ध करवाई जावेगी साथ ही ऐसे जिले/ब्लॉक जहां पर आयुष चिकित्सा उपलब्ध नहीं है वहॉ पर नवीन चिकित्सालय तथा आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर मानकों के अनुरूप नवीन औषधालय खोले जायेंगे।

**5.2 आयुष चिकित्सा सेवाओं का मानकीकरण, विस्तार व चरणबद्व उन्नयन –**

**5.2.1** राज्य में वर्तमान में तीन स्तर पर चिकित्सालय एवं औषधालय संस्थान संचालित है। 1. जिला चिकित्सालय, 2. ब्लॉक चिकित्सालय तथा 3. औषधालय (ग्राम/पंचायत स्तर पर)। इन चिकित्सालयों / औषधालयों का आधारभूत ढाँचा (भूमि, भवन, फर्नीचर आदि) मानव संसाधन, औषधी, उपकरण व अन्य संसाधनों को विभागीय मानक, NABH मानकों तथा राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) के मानकों के अनुरूप उपलब्ध करवाते हुए चरणबद्ध रूप से उन्नयन कर सुदृढ़ किया जाएगा।

**5.2.2** प्रत्येक जिला / ब्लॉक स्तर पर संचालित आयुर्वेद/आयुष चिकित्सालयों में विशेषज्ञ सेवाऐं यथा काय चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य चिकित्सा, स्त्री एवं प्रसूति चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा के विशेषज्ञ एवं तत्संबंधी सुविधाऐं उपलब्ध करवायी जायेंगी साथ ही प्रयोगशालीय परीक्षण सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

**5.2.3** राज्य के ऐसे जिले व ब्लॉक जहॉ पर वर्तमान में चिकित्सालय संचालित नहीं है। उन समस्त जिलों व ब्लॉक पर नवीन आयुष चिकित्सालय स्थापित किये जायेंगे तथा ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकता व मांग के अनुसार चरणबद्ध रूप से नवीन औषधालय स्थापित किये जायेंगे।

**5.2.4** राज्य में ऐसे स्थान जहॉ पर दो–दो आयुष चिकित्सा ईकाई संचालित है, उनका आवश्यकतानुसार समानीकरण किया जायेगा।

**5.2.5** चल चिकित्सा सेवायें – वर्तमान में संचालित चल चिकित्सा इकाइयों का लाभ सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जनसामान्य तक उपलब्ध कराये जाने के लिये चलचिकित्सा इकाइयों का सुदृढीकरण किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार नवीन ईकाईयों की स्थापना की जायेगी।

## 6. स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम (Health Care Programme)

**6.1 जनस्वास्थ्य (Public Health Care)** – राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष मानव संसाधन की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में आयुष को व्यापक रूप से सम्मिलित किया जाएगा।

**6.2 जनजाति स्वास्थ्य (Tribal Health)** – राज्य के जनजाति बाहुल्य जिलों में आर्थिक रूप से पिछडापन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, जागरूकता का अभाव इत्यादि कारणों से जनजाति क्षेत्र के लोगों में कुपोषण जनित व्याधियॉ, गर्भवती महिलाओं में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्यायें, विभिन्न संक्रामक व वैक्टर बोर्न डिजीज यथा मलेरिया, चिकिनगुनिया, हैजा, पीलिया,

टाइफाइड इत्यादि का प्रकोप समय समय पर होता रहता है। प्रदेश के आदिवासी मुख्य रूप से वन्य स्थानों पर निवास करते हैं। इन आदिवासियों व ग्रामीण लोगों के द्वारा राजस्थान प्रदेश में Flora and Fauna के उत्पादों का चिकित्सकीय प्रयोग का आम प्रचलन है जो कि पारम्परागत तौर से चला आ रहा है। अतः आदिवासी क्षेत्रों में निम्नानुसार स्वास्थ्य सम्बंधी कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा –

1) आदिवासी लोगों के आहार–विहार का अध्ययन कर उनकी स्वास्थ्य व पोषण संबंधी समस्याओं की जानकारी संकलित कर तदनुसार स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।
2) क्षेत्र में औषधीय पादपों एवं जान्तव उत्पादों की उपलब्धता, लोक औषधीय प्रयोगों का संग्रहण व प्रलेखन तथा उनका वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक रूप से प्रयोग करवाया जाना।
3) स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रोगों से बचाव एवं स्वस्थवृत्त के ज्ञान का प्रचार।

**6.3 वैलनेस कार्यक्रम (Wellness Programme) –** आरोग्य राजस्थान (Health for All) की प्राप्ति आयुर्वेद के प्रथम उद्देश्य **स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्** के अनुसार किये जाने हेतु Preventive Health Wing की स्थापना की जायेगी।

पर्यटन के क्षेत्र में राज्य की महत्ता के दृष्टिगत राज्य के धार्मिक एवं अन्य पर्यटन स्थलों पर पी.पी.पी. सहभागिता के आधार पर उच्च स्तरीय वेलनेस सेन्टर्स स्थापित किये जायेगे ताकि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटको को आकर्षित किया जा सके।

**6.4 संक्रामक रोग (Infectious diseases)** – महामारी की रोकथाम और नियंत्रण में आयुष की विशेषताओं के दृष्टिगत राज्य में महामारियों का प्रकोप (Occurrence or Outbreak Of Epidemic/ Endemic / Pendemic) होने की स्थिति में जिला /ब्लॉक आयुर्वेद / आयुष चिकित्सालयो पर विशेष बहिरंग रोगी विभाग (Special OPD) प्रारंभ किये जायेगे।

मौसमी बीमारियों व वायरस जनित महामहारियों से बचाव के लिए आयुष चिकित्सा पद्धतियों के आधार पर विशेष प्रोटोकॉल निर्धारण करने के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर तथा आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर के विशेषज्ञों से समय–समय पर एपिडेमिक रोग का प्रोटोकॉल बनवाया जायेगा।

**6.5 गैर–संक्रामक/जीर्ण रोग (Non-Infectious / Chronic disorders) –** गैर संक्रामक रोग मुख्यतः जीवनशैली जनित स्वास्थ्य समस्याऐं है जिनमें मुख्यतः मधुमेह उच्च रक्त चाप, थायराईड, ह्रदय रोग, कैंसर आदि सम्मिलित है। इनकी रोकथाम व चिकित्सा हेतु आयुष चिकित्सा पद्वतियां प्रभावकारी एवं निरापद है। इन रोगों के रोकथाम एवं चिकित्सा हेतु आयुष

चिकित्सालयों में आवश्यक संसाधन यथा जॉच सुविधा, औषधियॉ, बचाव हेतु प्रचार–प्रसार आदि सुविधाऐं उपलब्ध करवायी जायेंगी तथा उपचार के प्रभाव का वैज्ञानिक डाटा संधारित कर विश्लेषण किया जायेगा।

**6.6 मातृ स्वास्थ्य (Maternal Health)** – महिलाओं में गर्भावस्था पूर्व व पश्चात (Pre & post netal) स्वास्थ्य समस्याऐं यथा कुपोषण, रक्ताल्पता आदि से बचाव एवं उपचार के लिए राज्य के समस्त जिला / ब्लॉक आयुष चिकित्सालयों में ऑचल प्रसूता केन्द्रो की स्थापना की जायेगी। उत्तम संतति प्राप्ति के लिए आयुर्वेद में वर्णित मासानुमासिक गर्भिणी परिचर्या का पालन करने हेतु आवश्यक औषधि व संसाधन उपलब्ध करवाये जायेंगे।

**6.7 शिशु स्वास्थ्य (Child Health)** – बाल एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिये जिला/ ब्लॉक चिकित्सालयों में विशिष्ट केन्द्र संचालित किये जायेंगें, जिसमें सामान्य टीकाकरण के साथ स्वर्णप्राशन तथा रसायन औषधियों का उपयोग करते हुए बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि कर बीमारियों से बचाव किया जावेगा। साथ ही इसके प्रभाव के डाटा संधारित कर वैज्ञानिक विश्लेषण किया जायेगा। इसी प्रकार कुपोषण को दूर करने के लिये बल्य आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग कर विशेष पोषण किट वितरित किये जाने के साथ–साथ औषधी भी उपलब्ध कराई जायेगी।

**6.8 किशोरावस्था स्वास्थ्य (Adolscent Health Care)** – वर्तमान की जीवनशैली में किशोरावस्था के पुरूष व महिलाओं में मानसिक एवं शारिरिक व्याधियां हो रही है। किशोर युवितियों में प्यूबर्टी मेनोरेजिया (Puberty Menorrhagia) पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज (PCOD), डिस्मेनोरिया (Dysmenorrhea) आदि किशोरावस्था संबंधित सामान्य बीमारियां होती है। इस हेतु आयुष चिकित्सालयों एवं आयुष शैक्षणिक संस्थानों में स्वास्थ्य देख भाल के लिए विशिष्ट योजनाऐं लागू की जायेगी।

**6.9 वृद्धजन स्वास्थ्य (Geriatric Health)** – प्रजनन दर में निरंतर गिरावट और वृद्धावस्था में मृत्यु दर में कमी के परिणामस्वरूप प्रदेश की औसत आयु में वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस आयु वर्ग में आयुजनित विशिष्ट स्वास्थ्य समस्यायें जैसे– मधुमेह, जोडो की बीमारियॉ, नाडी तंत्र के रोग, डिजनरेटिव डिसआर्डर, अर्श आदि विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। इनकी चिकित्सा में आयुर्वेद पद्वति का विशिष्ठ प्रभाव है। इस हेतु वर्तमान में जरावस्था व्याधि निवारण केन्द्र संचालित है। इनमें और अधिक सुविधाऐं उपलब्ध करवाते हुए सुदृढीकरण किया जायेगा तथा प्रत्येक जिला/ब्लॉक आयुष चिकित्सालयों में जरावस्था व्याधि निवारण केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

6.10 **मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health Care)** – वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में अत्यधिक महत्वकांक्षाओं के कारण युवा पीढी में मानसिक स्वास्थ्य की समस्यायें यथा चिन्ता, अवसाद, अनिद्रा आदि मनोरोग उत्पन्न हो रहे है। आयुर्वेदीय जीवन प्रद्वति एवं योग के माध्यम से इन मानसिक रोगों से बचते हुए मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। अतः प्रत्येक आयुष चिकित्सा केन्द्रों पर मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र बनाये जायेंगे। जहाँ पर मेध्य रसायन तथा यौगिक क्रियाओं के माध्यम से चिकित्सा उपलब्ध करवाई जायेगी।

6.11 **नशामुक्ति (De-addiction)** – डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वर्तमान में नशामुक्ति एवं परामर्श केन्द्र संचालित है। जिसके सकारात्मक परिणामों के आधार पर आयुष चिकित्सा सेवा के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाकर जिला स्तरीय आयुष चिकित्सालयों में चरणबद्ध रूप से इसके केन्द्र प्रारम्भ किये जायेंगे।

6.12 **बांझपन उपचार (Infertility Treatment) –** वर्तमान तनावयुक्त जीवनशैली, धूमपान, नशा, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि अनेक कारणों से बांझपन एक आम समस्या हो गई है। इस समस्या के समाधान हेतु पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित जिला अस्पतालों में "आयुर्वेदिक फर्टिलिटी सेंटर" स्थापित किए जाएँगे। जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम एवं बांझपन उपचार की सेवाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी।

6.13 **योग एवं हर्बल पार्को की स्थापना –** नियमित योग गतिविधियां संचालित कर आमजन को स्वस्थ जीवन जीने हेतु राज्य के प्रत्येक जिला एवं ब्लॉक स्तर पर चयनित स्थानीय निकायों के पार्को को डेडीकेटेड योग पार्क के रूप में विकसित किया जायेगा, जिनमें विभिन्न औषधीय महत्व के पौधों का रोपण कर हर्बल गार्डन भी विकसित किये जायेंगे।

6.14 **आरोग्य ग्रामों की स्थापना** – राज्य की ग्रामीण जनता प्राचीनकाल से ही आयुर्वेदीय जीवन पद्वति, आहार–विहार, योग– प्राणायाम, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रसायन सेवन, इत्यादि का पालन करते हुये दीर्घ एवं स्वस्थ्य जीवन जीते रहे है। वर्तमान ग्लोबलाईजेशन के युग में ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगो की जीवनशैली में परिवर्तन आने के कारण जीवनशैली जनित रोगों का प्रादुर्भाव बढ रहा है। अतः विश्व स्वास्थ्य संगठन के वन हैल्थ प्रोग्राम के सिद्धान्तों के अनुसार स्वास्थ्य से जुडे हुए समस्त विभागों यथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग, पशुपालन विभाग इत्यादि की सहभागिता से ग्रामीण जनता को स्वस्थ्य व दीर्घ जीवन के लिये जागरूक करनें हेतु चरणबद्ध रूप से आरोग्य ग्रामों की स्थापना की जाएगी।

## 7. आयुष शिक्षा (AYUSH Education)

**7.1 आयुष स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. शिक्षा (AYUSH UG, PG & Ph.D. Education) –** राज्य में आयुष शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत अवसंरचना स्थित है। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा पद्वति आयोग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिनियमों के अनुरूप आयुष शिक्षण संस्थाओं में 5 वर्षीय स्नातक, 3 वर्षीय स्नातकोत्तर एवं पीएचडी पाठ्यक्रम संचालित हैं। राज्य में आयुष शिक्षा **"राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2002"** द्वारा नियंत्रित होती है। इस अधिनियम के अनुरूप आयुष शिक्षा संस्थानों की सम्बद्धता विश्वविद्यालय के नियन्त्रणाधीन है।

वर्तमान में राज्य में आयुष शिक्षण संस्थाओं की स्थिति निम्नानुसार है :–

| क्र.स. | चिकित्सा पद्वति | राजकीय | निजी |
|---|---|---|---|
| 1 | आयुर्वेद | 8 | 7 |
| 2 | होम्योपैथी | 2 | 4 |
| 3 | यूनानी | 1 | 2 |
| 4 | योग एवं प्राकृतिक | 8 | 7 |
| 5 | बी.एस.सी. नर्सिंग (आयुर्वेद) | 3 | 3 |
| 6 | डी.ए.एन.एण्डपी. (आयुर्वेद) | 2 | 27 |
| **कुल** | | 24 | 50 |

22 राजकीय आयुष महाविद्यालय एवं 23 निजी आयुष महाविद्यालय तथा 2 राजकीय एवं 27 निजी डिप्लोमा नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। साथ ही जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय संचालित है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 की बजट घोषणा में अजमेर में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढावा देने हेतु विश्विविद्यालय स्थापित किये जाने की घोषणा की है। इसी प्रकार 7 संभाग मुख्यालयो पर राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। उक्तानुसार संभाग मुख्यालयों व जिला मुख्यालयों पर आयुष शिक्षा के संस्थान संचालित है। इन शिक्षण संस्थानों का आधारभूत संरचनात्मक ढाचां विकसित किया जाकर शिक्षकों एवं अन्य मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर गुणात्मक उन्नयन करते हुए इन्हे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप मे विकसित किया जावेगा।

**7.2** राज्य में संचालित आयुष महाविद्यालयों के लिए शिक्षक एवं आयुष चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के लिए स्नातकोत्तर उपाधिधारकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्तमान में राज्य में संचालित राजकीय आयुष महाविद्यालयों /विश्वविद्यालयों में समस्त 14 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जावें।

**7.3** राज्य में संचालित आयुष शिक्षण संस्थाओं में केन्द्रिय भारतीय पद्वति चिकित्सा आयोग के निर्धारित मानकों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी, जिससे स्नातक एवं

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में गुणात्मक उन्नयन होगा। निजी क्षेत्र में संचालित विधिवत् अनुमति प्राप्त अलाभकारी आयुष शैक्षणिक संस्थानों को न्यूनतम मानकों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता हेतु केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अवसंरचना उन्नयन हेतु सब्सिडी युक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

**7.4** राज्य में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं योग व प्राकृतिक चिकित्सा के 74 महाविद्यालय, नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स तथा विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्स संचालित है। इनका प्रभावी निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा मॉनिटरिंग आदि सम्पादित किये जाने हेतु एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के अनुरूप आयुष शिक्षा निदेशालय/आयुक्तालय जयपुर में स्थापित किया जायेगा।

**7.5** बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस., बी.यू.एम.एस. कोर्सेज के अनुरूप बी.एन.वाई.एस. कोर्स में प्रवेश नीट के माध्यम से किया जायेगा।

**7.6** वर्तमान में राज्य में आयुष शिक्षा की पर्याप्त संस्थायें संचालित है। राज्य सरकार इनके संख्यात्मक वृद्वि के साथ–साथ गुणात्मक वृद्वि पर कार्य करेगी। इस हेतु आवश्यक भवन, उपकरण, फर्नीचर, लेबोरेट्री, आधुनिक जांच की मशीने यथा सोनोग्राफी, सीटी स्केन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी, साथ ही पाठ्यक्रम में आधुनिक चिकित्सा से संबंधित निर्धारित विषयों के अध्यापन/कर्माभ्यास आदि कार्यो के सम्पादन किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

**7.7 आयुष पैरा–मेडिकल शिक्षा (AYUSH Para-Medical Education) -** राज्य में संचालित विभिन्न आयुर्वेद/यूनानी औषध निर्माण रसायनशालाओ में गुणात्मक औषध निर्माण हेतु फार्मासिस्ट की आवश्यकता के दृष्टिगत (आयुर्वेद), बी.फार्मा (आयुर्वेद) एवं एम.फार्मा (आयुर्वेद) कोर्स प्रारंभ किये जायेगें तथा राज्य में संचालित विभिन्न औषध विक्रय केन्द्रों पर कुशल एवं दक्ष व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु डी. फार्मा कोर्स प्रारंभ किये जायेगे।

## 8. शोध एवं विकास (Research & Development)

1) राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद रिसर्च केन्द्र की स्थापना की जाऐगी जिसके तहत राज्य में आयुर्वेद के विभिन्न राजकीय स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान भी सम्बद्ध किये जायेंगे।
2) यह रिसर्च केन्द्र राज्य में संचालित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एवं केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के साथ समन्वय स्थापित कर एकेडेमिक रिसर्च गतिविधियों का संचालन करेगी।

3) Inter-disciplinary and Coloberative research को बढावा देते हुए प्रदेश के Biochemistry, Microbiology, Biotechnology, Modern Medicine इत्यादि के विभिन्न स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थानों की सहभागिता से शोध कार्य सम्पादित करवाये जाऐंगें एवं आयुर्वेद रिसर्च केन्द्र द्वारा इनका संकलन किया जाकर विश्लेषण (Analytical Study) किया जायेगा।
4) आयुर्वेद के मौलिक ग्रंथों में विभिन्न रोगों के उपचार के लिये वर्णित काष्ठौषधियों एवं रसौषधियों का रोगों पर होने वाले प्रभाव का आधुनिक वैज्ञानिक मापदण्डों के अनुरूप अध्ययन करवाया जायेगा।
5) आयुर्वेदीय संहिताओं में उल्लिखित सर्जीकल प्रोसीजर्स, उनमें काम आने वाले उपकरणों, निश्चेतन विधियों का अध्ययन कर आधुनिक वैज्ञानिक मानदण्डों के अनुरूप विश्लेषण किया जा कर उनको रिडिजाइन किया जाऐगा।
6) वर्तमान में उपलब्ध विभन्न मेडिसिनल प्लॉट्स की Medicinal Properties का विभिन्न रोगों में शरीर पर होने वाले प्रभावों के आधार पर नवीन औषधीय योगों का निर्माण किया जायेगा।
7) प्रचलित विभिन्न शास्त्रीय योगों एवं नवीन औषधीय योगों का Clinical Trial Registry of India में पंजीयन करवाया जाकर उनकी Effectivity, Efficacy, Safty की Study करवायी जाऐगी।
8) इस हेतु राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों, विभागीय एकीकृत/जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों को रिसर्च स्टेण्डर्ड के अनुरूप विकसित किया जाकर वहॉ Fully Equiped Laborataries स्थापित की जाऐगी
9) बडी संख्या (Huge Sample Size) में डाटा कलेक्शन कर International Journals में Publish करवाया जाकर Authenticate किया जायेगा
10) औषधीय पादपो (Medicianal Plants) की गुणवत्ता उन्नयन एवं प्रचूर मात्रा में उपलब्धता तथा Endangered Species के संरक्षण के लिये विभिन्न Agriculture Universities, IITs and Biotechnology Institutions से समन्वय स्थापित कर अनुसंधान कार्य किया जावेंगा।

## 9. प्रकाशन एवं प्रलेखन (Documentation & Publication)

आयुर्वेद के क्षेत्र में होने वाले विभिन्न अनुसंधानो एवं उनके परिणामो एवं डेटास् को डिजिटल संधारण किया जावेगा तथा उनका ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित करवाये जाने के विशेष प्रयास किये जावेगे ।

## 10. क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास (Capacity building and Skill development)

1) आयुष चिकित्सकों/शिक्षको/अध्यताओं/नर्सिंगकर्मीयों को आयुष के क्षेत्र मे होने वाले विभिन्न नवाचार व अनुसंधान की अधतन जानकारी दिये जाने, राज्य सरकार एवं भारत सरकार की नीति के अनुरूप स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों को लागू करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों और आपात स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

2) इस हेतु जयपुर में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान के अनुरूप समर्पित आवासीय **राज्य आयुष प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र** की स्थापना की जाएगी।

## 11. औषधीय पादप (Medicinal Plant)

**11.1** राजस्थान औषधीय एवं सुगंधित पौधों की समृद्ध विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान, सतत विकास, और समुदायों की भागीदारी के माध्यम से यह क्षेत्र न केवल पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को सुदृढ़ करेगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भारतीय औषधीय उत्पादों की पहचान भी स्थापित करेगा। उचित नीतिगत हस्तक्षेप और संसाधनों के कुशल प्रबंधन के माध्यम से, राजस्थान औषधीय पौधों पर आधारित चिकित्सा पद्धति को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में सक्षम होगा।

**11.2** आयुर्वेदिक/आयुष औषध निर्माणशालाओं को उच्च गुणवत्ता वाली कच्ची जडीबूटियों की आपूर्ति एवं निवारक, उपचारात्मक और उपशामक देखभाल हेतु राजकीय आयुर्वेद औषधालयों और चिकित्सालयों में ताजी औषधीय पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु औषधीय एवं सुगंधित पौधों के संरक्षण, संवर्धन और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्य किये जाएंगेः–

1. राज्य में पाये जाने वाले औषधीय एवं सुगंधित पौधों की वैज्ञानिक पहचान कर उनका प्रलेखन किया जाएगा।
2. राजस्थान की औषधीय वनस्पतियों का विस्तृत डेटाबेस एवं चित्रात्मक डिजिटल एटलस विकसित किया जाएगा।
3. औषधीय एवं सुगंधित पौधों को उनके प्राकृतिक उत्पत्ति स्थानों पर (In-Cetu Conservation) संरक्षित करने हेतु वन विभाग, कृषि विभाग आदि से समन्वय स्थापित कर स्थायी संरक्षण रणनीतियाँ अपनाई जाएंगी।

4. अंतर–विभागीय समन्वय – राजस्थान राज्य औषधीय पौधों बोर्ड (RSMPB) के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों, आयुर्वेद संस्थानों, वनस्पति विज्ञान विभागों, AIIMS, IIT's और अन्य संबंधित संस्थानों में औषधीय पौधों से संबंधित संचालित गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण।

5. औषधीय पादपो के विपणन हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले औषधीय पादप उत्पादों यथा कोटा में अश्वगंधा की मंडी, जोधपुर में सनाय की मंडी, बाडमेर में ईसबगोल की मंडी, उदयपुर में वन उत्पादों के विपणन के लिये हर्बल मंडी की स्थापना किया जाना तथा इन उत्पादों का मंडी टैक्स से मुक्त करना।

6. राज्य में कृषिकरण किये जाने वाले औषधीय पादपों का राजस्व विभाग के खसरा गिरदावरी में दर्ज किये जाने का प्रावधान किया जायेगा, ताकि राज्य में होने वाले औषधीय पादपों के सांख्यिकी आंकडे उपलब्ध हो सके।

7. कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) की तर्ज पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, जहाँ औषधीय पौधों की खेती, प्रसंस्करण और सतत प्रबंधन (Good Agricultural Practices, Good Haresting practices, Good Collection practices, Good Storage practices, Vallue adition etc.) पर कौशल–आधारित शिक्षा दी जाएगी।

8. औषधीय पौधों, विशेष रूप से औषधीय वृक्षों का बड़े पैमाने पर रोपण को बढ़ावा देना, जिसमें उद्यान, शैक्षणिक संस्थान (विद्यालय और महाविद्यालय), सरकारी भवन, चारागाह, श्मशान भूमि, बंजर भूमि, साथ ही राजमार्गों, रेलवे ट्रैकों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण शामिल है।

9. विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष हर्बल उद्यान विकसित करना, जिससे औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता बढ़े, उनका संरक्षण हो, और उनके लाभों पर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया जा सके।

10. राजस्थान राज्य औषधीय पादप मण्डल (RSMPB) को सशक्त बनाना।

## 12. औषधि निर्माण व आपूर्ति (Drug Manufacturing & Supply)

1) राज्य में संचालित समस्त आयुष चिकित्सा इकाइयों में पर्याप्त मात्रा व निर्धारित संख्या में गुणवत्तापूर्ण औषधियॉ की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु वर्तमान में संचालित विभागीय रसायनशालाओं को एकीकृत कर **राज्य औषध निर्माण एवं विपणन निगम** की

स्थापना की जायेगी अथवा पी.पी.पी. मोड के माध्यम से आयुर्वेद व यूनानी औषधियों का निर्माण कर आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

2) आयुष चिकित्सा इकाईयों में औषधियों की उपलब्धता एवं आपूर्ति की सॉफ्टवेयर/पोर्टल के माध्यम से रियल टाईम मॉनिटरिंग की जाएगी।

3) विभागीय रसायनशालओं में निर्मित एवं प्रोक्योर की गयी औषधियों का वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित भंडारण किया जाकर आयुष चिकित्सा इकाईयों में मांग के अनुरूप, समय पर वितरण किये जाने हेतु जिला स्तर पर आधुनिक तकनीक व संसाधनो से युक्त **जिला औषध भंडारण एवं वितरण केन्द्रों** की स्थापना की जाएगी

## 13. गुणवत्ता आश्वासन एवं नियंत्रण (Quality Assurance and Control)

1) रसायनशालाओं में निर्मित औषधियों व प्रोक्योर की गयी औषधियों की गुणवत्ता जांच हेतु जयपुर, जोधपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में पृथकशः Quality Control Unit की स्थापना की जायेगी, साथ ही अजमेर स्थित Drug Testing Laboratory को और अधिक आधुनिक एवं सुदृढ बनाया जायेगा।

2) राजकीय/निजी क्षेत्र की आयुर्वेद रसायनशालओं में Good Manufacturing Practices मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करनें हेतु आई टी/ए आई का उपयोग करते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इस हेतु आवश्यक उपकरण/मानव संसाधन उपलब्ध करायें जाऐंगे ।

3) औषधि नियंत्रण अधिकारियों को समसामयिक प्रशिक्षण देकर उनके संचालन कौशल को बढ़ाया जायेगा।

4) औषध गुणवत्ता नियंत्रण प्रभावी कार्य संपादन हेतु प्रथक से सेवा नियम बनाये जायेगे।

## 14. सूचना, शिक्षा एवं संचार (Information, Education & Communication)

आयुर्वेद विभाग कि अन्तर्गत आई.ई.सी. प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी । इस प्रकोष्ठ द्वारा निम्न कार्य किये जाऐंगें –

1) राज्य में आयुष सुविधाओं की जानकारी विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा आम जन तक पहुॅचाना।

2) आयुर्वेदीय स्वस्थ जीवन पद्धति के सिद्धान्तों की प्रचार सामग्री तैयार कर जनसामान्य तक पहुंचाना।

3) राज्य/सम्भाग/जिला स्तर पर आरोग्य मेलों का आयोजन।

## 15. सूचना प्रणाली (Information System)

1) आयुष चिकित्सा इकाइयों में ई–आयुष (E-AYUSH) प्रणाली का विकास किया जाएगा जिसमें रोगी रिकॉर्ड प्रबंधन तथा औषधियों की उपलब्धता की रियल टाइम मोनिटरिंग की जाएगी।

2) आयुष चिकित्सा इकाइयों में मानव संसाधन की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु A.M.S. को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

3) आयुष चिकित्सा सेवाओं की जियो टेगिंग की जाएगी।

4) आयुष सेवाओं को भारत सरकार के स्वास्थ्य पोर्टलों में एकीकृत (Integrate) करना।

5) अनुसंधान और विकास के लिए मेडिसिनल प्लॉट्स के डेटाबेस का डिजिटलीकरण।

## 16. गवर्नेंस (Governance)

1) Minimum Government, Maximum Governance के लिये आयुष विभागान्तर्गत संचालित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी निदेशालयों का एकीकरण किया जाएगा तथा प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन में अधिक से अधिक टैक्नोलोजी का इनपुट बढाया जाएगा।

2) आयुष विभागान्तर्गत संचालित निदेशालय, विभिन्न बोर्ड कार्यालय, परिषद कार्यालय का सुदृढीकरण किया जाएगा।

3) निदेशालयों/अतिरिक्त निदेशक कार्यालयों/उपनिदेशक कार्यालयों में प्रभावी एवं त्वरित कार्यनिस्तारण हेतु तथा औषधालयों/चिकित्सालयों/रसायनशालाओं/के प्रभावी मोनिटरिंग हेतु विभागान्तर्गत समस्त प्रशासनिक पदों का पृथकशः कैडर बनाया जाएगा।

4) वर्तमान में आयुष शिक्षण संस्थानों की संख्यात्मक वृद्धि हो जाने के कारण इनका संचालन एवं मोनिटरिंग किये जाने हेतु चिकित्सा शिक्षा आयुक्तालय के अनुरूप आयुष चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना की जाएगी।

***